FORM No. III | App. A / Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

नन्दा माली बनाम शंकर कहार

मुकदमा 111, 128 L.R. Act नं. 23 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/1/21 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 18/3/21 को पेश हो। [signature]	
18/3/21 पत्रावली पेश हुई वादी प्रतिवादी उपस्थित पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/5/21 को पेश हो। [signature]	
20/5/21 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे [illegible] पधार हैं / अन्य राजकीय [illegible] पत्रावली साबिक [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] बावजूद तामील [illegible] आज्ञा से रीडर	
पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी बावजूद तामील अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:53:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री अंशुल सिंह आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या – 23/2021 प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक – 12/1/2021
निर्णय दिनांक – 10/06/2021

अनवान

नन्दा पिता भैरू जाति माली उम्र वयस्क निवासी – मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0 ....प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता धन्ना कुम्हार निवासी – मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
2. घीसु पिता धन्ना जाट निवासी – मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
3. रामप्रसाद पिता नन्दा माली निवासी – मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
4. एस.बी.बी.जे. बैक शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक **10.06.2021**

1. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मूशी पटवार मण्डल मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 236 का आराजी संख्या 689 , 1884 , 1887 कुल किता 3 रकबा 03–19 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया । विपक्षीगण बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया गया।

3. मामले मे प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मूशी पटवार मण्डल मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 236 का आराजी संख्या 689 , 1884 , 1887 कुल किता 3 रकबा 03–19 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 400/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा) न्यायालय
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:53:59 IST
Reason: SelfAttested